



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 113 राँची, मंगलवार,

4 मार्च, 2025 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

27 फरवरी, 2025

अधिसूचना संख्या-01/परिवह- (प्रोन्नति)-24/2019-263--सदस्य, राजस्व पर्वद, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की मोटरयान निरीक्षक से जिला परिवहन पदाधिकारी (तकनीकी) के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक-31.01.2025 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियमावली, 2019 के प्रावधानों के तहत श्री मुकेश कुमार, मोटरयान निरीक्षक, राँची को जिला परिवहन पदाधिकारी (तकनीकी) वेतनमान-7th CPC Level-9, PB II-9300-34800, G.P.-5400 (अपुनरीक्षित) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए श्री कुमार को प्रोन्नति के उपरान्त उनके धारित पद को जिला परिवहन पदाधिकारी (तकनीकी) वेतनमान-7th CPC Level-9, PB II-9300-34800, G.P.-5400 (अपुनरीक्षित) में उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2. श्री मुकेश कुमार, नवप्रोन्नत जिला परिवहन पदाधिकारी (तकनीकी) को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शमन की शमन प्रदान की जाती है ।

3. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 से आलोक में नवप्रोन्नत पदाधिकारी को प्रोन्नत पद का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ पदस्थापित पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग ।
